न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या :– जीसीएमएस नम्बर 2024/78)

1. कल्याण,
2. रामखिलाड़ी,
3. सीताराम,
4. गोला,
5. जानकी,
6. बरदी,
7. रूकमणी पि0 भूरया,
8. भौरी पत्नि भूरया,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. परसादीलाल पुत्र गौरीलाल,
2. बृजमोहन पुत्र गौरीलाल,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहुवास, तहसील राहुवास, जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 24.06.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी परसादीलाल बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 30/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री प्रेमराज सबलानिया, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–13.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.06.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.के साथ दिनांक 03.07.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 2.7569 है0 भूमि वाके ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र काबिज काश्त रिकार्डेड खातेदार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ पचवारा को आदेश दिये गये कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 2.7569 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी करवाने व प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किये जाने तथा पत्थरगढ़ी से पूर्व सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करें। प्रकरण पत्थरगढ़ी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें। अगर पुलिस जाप्ते की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/ होमगार्ड इमदाद

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 पारित किये गये हैं ।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट कल्याण पुत्र भूरया वगै0 ने यह अपील धारा 96 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 24.06.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत आदेश विधि, न्याय एवं कानून की सामान्य प्रक्रिया की पालना में किया गया आदेश है, जो एकदम मनमाना एवं प्रक्रियाओं का दुरूपयोग कर पारित किया गया आदेश है। सर्वप्रथम तो धारा 128 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह आवश्यक है कि पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जावे। परन्तु रेस्पोडेन्ट सं० 1 व 2 द्वारा अपने आवेदन में किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार दर्ज नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि आराजी ख० नं0 20 व 22 विवादित भूमि से बिल्कुल लगती हुई है। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट्स को जानबूझकर पक्षकार दर्ज नहीं किया गया एवं बिना आवश्यक पक्षकार के ही प्रश्नगत आदेश पारित करवा लिया। धारा 128 एल.आर. एक्ट के आवेदन में रेस्पो० नं0 1 व 2 के द्वारा उक्त आराजी के सीमाज्ञान बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में हो चुका है और ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया। जिससे धारा 111 एल आर एक्ट के प्रावधानों की पालना हो सके। प्रकरण दिनांक 13.06.2024 को विचारण न्यायालय में पेश हुआ। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय करने से पूर्व मौके की वास्तविक जांच नहीं की गई, ना ही अपीलाण्ट्स को किसी भी प्रकार का समुचित व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा बिना जानकारी व सुनवाई के ही प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट्स प्रश्नगत आदेश से पूर्णतया प्रभावित पक्षकार है एवं संबंधित पक्षकार भी है तथा विवादित आराजी ख0न0 19 से लगती हुई सीमा आराजी ख0न0 20 व 22 के काबिज काश्तकार है तथा रेस्पो० नं0 1 व 2 अपीलान्ट्स की भूमि पर कब्जा करने को प्रयासरत है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.06.2024 में अपीलान्ट्स को बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 24.06.2024 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 2.7569 है0 भूमि वाके ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील राहुवास, जिला दौसा में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से

न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 13.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर